

Traffic restrictions ahead of Independence Day in Capital

PIONEER NEWS SERVICE
■ New Delhi

The national Capital is being fortified for Independence Day — snipers at high-rise buildings, heightened camera surveillance across the city

and more than 11,000 security personnel and 3,000 traffic police for security in and around the Red Fort. The Delhi Traffic Police has issued a detailed advisory for August 15, announcing extensive traffic restrictions and diversions across the city.

Prime Minister Narendra Modi on Friday will address the nation from the ramparts of the Red Fort. Delhi Police, the Army and paramilitary personnel have been deployed in the area for the day, with multiple layers of security in place.

Delhi Traffic Police has issued strict instructions, restricting commercial vehicles from entering the Capital after 10 pm on Thursday (August 14), among others. Special teams have been deployed at all the major railway stations, inter-state bus terminals, airports, and metro stations for round-the-clock monitoring. Passenger screenings,

baggage checks, and random identity verifications have been intensified, the officials said.

Security has also been stepped up at water treatment plants to protect vital installations in the national Capital they said, adding that a special focus is on north and central districts in Delhi. Delhi Police Commissioner SBK Singh has designated a DCP-ranker officer to oversee the anti-drone mechanism, they said, adding that surveillance along the Yamuna has also been intensified with speed boats deployed in the river.

Ahead of the Independence Day celebrations in the national Capital,

the Delhi Traffic Police has issued a detailed advisory for August 15, announcing extensive traffic restrictions and diversions across the city. The measures will be enforced from 4 am to 10 am, with the public advised to plan travel accordingly, avoid affected stretches, and use public transport wherever possible, officials said on Thursday.

Several roads in the vicinity of the Red Fort will be closed to general traffic during the restricted hours. These include Netaji Subhash Marg from Delhi Gate to Chatterai, Lodhi Road from CPO Delhi to Chatterai, and SP Mukherjee Marg from HC Sen Marg to Yamuna Bazar Chowk.

Chandni Chowk Road from Fountain Chowk to Red Fort, Nishad Raj Marg from Ring Road to Netaji Subhash Marg will also remain closed.

Other affected stretches include Esplanade Road, Ring Road near Rajghat and Shanti

Van, and the Ring Road slip road to Salim Garh Bypass.

Restrictions will also cover Ring Road from Subhash Park to ISBT Kashmere Gate and Mahatma Gandhi Marg from Ring Road to Netaji Subhash Marg.

Only vehicles with authorised labels or passes will be permitted to enter the restricted zone.

Commuters without parking labels for the Independence Day rehearsal and celebrations have been advised to avoid several roads during the restricted hours. These include C- Hexagon, India Gate, Copernicus Marg, Mandi House, Sikandra Road, W-Point, A-Point, Tilak Marg, Mathura Road, Bahadur Shah Zafar Marg, Netaji Subhash Marg, Jawaharlal Nehru Marg, and Ring Road between Nizamuddin Khatta and ISBT Kashmere Gate.

As alternate routes for travel between the northern and southern parts of the city

during the restricted hours, people have been advised to use designated alternative routes.

One option is to take Aurbindo Marg, Sardarj Road, Kamal Ataruk Marg, Kauliya Marg, SP Mukherjee Marg, Mother Teresa Crescent, Park Street, Mandir Marg, Panchkuan Road, and Rani Jhansi Road to reach destinations in North Delhi and vice versa. Another route is via Connaught Place, Minto Gate, Bhavbhuti Marg, Almeri Gate, Shardashanand Marg, Lahori

Gate Chowk, Naya Bazar, Peel Kohli, and SP Mukherjee Marg up to Old Delhi Railway Station, from where commuters can proceed to their destinations in North Delhi or South Delhi. "A third option is to cross the Yamuna using the Nizamuddin Bridge, take Pusta Road, proceed to GT Road, and cross Wazirabad Bridge to reach ISBT and North Delhi, and vice versa," the advisory read. To move

between the eastern and western parts of the city without entering the restricted Red Fort zone, commuters can use alternative corridors.

From the AIMS Flyover, travellers can take Ring Road, Ashram Chowk, Sarai Kale Khan, Rajghat, Shanti Van, Geeta Colony Flyover, Vikas Marg, Nirman Vihar, and onwards to Anand Vihar. Another route is from Ashram Chowk via Ring Road, Rajghat, Geeta Colony Flyover, Vikas Marg, Laxmi Nagar, Karkardooma, and onward to Anand Vihar, and vice versa.

A third option from Dhaua Kuan is to proceed via Ring Road, Naraina, Rajouri Garden, Punjabi Bagh, Briannia Chowk, Wazirabad Bridge, Khajuri Chowk, Bhajanpura, Loni Road, and onward to Shandara. For the New Delhi Railway Station, those coming from the east can use Vikas Marg, DDU Marg, and Bhavbhuti Marg to reach the station.

उपसाधन अर्थोपकरण विकास प्रकल्प अर्थोपकरण विकास प्रकल्प अर्थोपकरण विकास प्रकल्प				
क्र.सं.	कार्य का नाम	मिति	अंश	अंश
1.	Supply and fixing of facade light at 02 nos. entrance gate along with 03 years AMC at IA, Mathura Site-B	प्राथमिक	12.73	
2.	Providing facade/beautiful landscaping lighting at front of administrative building at EPRP Chhapra along with 03 years AMC	प्राथमिक	15.53	
3.	Upgradation of street light network with AMC for 01 year at Anit compound SSGT Road, Chhapra	प्राथमिक	73.64	
4.	Supply and fixing of facade light at entrance gate of No. 1 & 2 at MG Road, Hapur along with 03 year AMC	प्राथमिक	12.73	
5.	Supply and fixing of facade light at entrance gate of IA, Pithampur along with 03 year AMC	प्राथमिक	6.97	
6.	Supply and fixing of facade light at entrance gate of IA, Begpur, Muzaffargarh along with 03 year AMC	प्राथमिक	6.97	
7.	Supply and fixing of facade light at entrance gate of IA, IDO (Bhagat) along with 03 year AMC	प्राथमिक	6.97	
8.	Supply and fixing of facade light at entrance gate of IA, TDS City, Chhapra along with 03 year AMC	प्राथमिक	6.97	

RADICO KHAN FINANCE LIMITED				
Regd. Address: 4A, 4 th Floor, Masoodpur Dairy Farms, New Delhi - 110070				
Email: admin@radico.com; Website: www.radicoindia.com				
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 th JUNE, 2025				
(Rs. in Lakhs)				
S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended
		30.06.2025	31.03.2025	31.03.2025
1.	Total income from operations (Net)	1,309.34	1,278.53	1,278.53
2.	Net Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	33.29	(51.00)	553.87
3.	Net Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	33.29	(51.00)	553.87
4.	Net Profit/Loss for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	33.29	(170.67)	434.19
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	33.29	(91.44)	553.87
6.	Equity Share Capital	800.00	800.00	800.00
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	673.45	673.45	673.45
8.	Earning per share of Rs. 10/- each	6.37	1.33	4.62
9.	Dividend	6.37	1.33	4.62

NOTES

- The above Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th Aug, 2025.
- The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act 2013 (the Act) read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 01, 2019.
- The Company is engaged in the business of NBFC activities and there are no separate reportable segments as per Accounting Standard - 17 on "Segment Reporting".
- Figures for the two previous periods are not audited and are for comparative purposes only and should not be used for any other purpose.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 32 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.sebi.gov.in and the Company's website www.radicoindia.com.

Place: New Delhi
Date: 14th August, 2025

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office: Behrampur Road, Khandas Village, Gurugram, Haryana- 122001, India, Tel: +91 (0124)- 4809756
CIN: L17226HR1984PLC033384 | Email: info@ashnoortext.com | Website: www.ashnoortext.com

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Year Ended June 30, 2025				
(Rs. in Lakhs)				
Sl. No.	Particulars	For the Quarter Ended June 30, 2025	For the Quarter Ended Mar 31, 2025	For the Year Ended March 31, 2025
		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	4,207.78	4,021.51	5,301.97
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	617.93	151.03	613.42
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	617.93	151.03	611.97
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	463.90	151.84	466.34
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	463.90	151.84	466.34
6.	Paid Up Equity Share Capital	1,593.23	1,593.23	1,593.23
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	7,046.26	7,046.26	7,046.26
8.	Securities Premium Account	558.65	558.65	558.65
9.	Net Worth	9,103.38	8,636.49	7,598.78
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	0.27	0.25	0.24
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	0.64	0.74	0.90
13.	Earnings Per Share (for Rs. 10/- each) (before and after extraordinary items)	2.91	0.95	2.97
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15.	Debt Service Coverage Ratio	2.26	0.97	3.07
16.	Debt Service Coverage Ratio	2.26	0.97	3.07
17.	Interest Service Coverage Ratio	5.61	2.94	6.56

Note: The above standalone financial result for the quarter ended June 30, 2025 are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (IND AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 32 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (i.e. www.bseindia.com) and the website of the Company (i.e. www.ashnoortext.com).

Place: Gurugram, Haryana
Date: 13/08/2025

NORTHERN RAILWAY NOTICE FOR E-AUCTION	
Serial Divisional Commercial Manager/Regional, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC/M/104 dated 13.09.2022 and Railway Board's letter no. 2024/REG/0737/2347/1089 dated 13.06.2024, invites bids through e-Auction www.inreps.gov.in for leasing of parcel space of SLR compartments and VPs in various SLR compartments for use as parcel space for sale and schedule given below:-	
S. No.	Date & time / Assets to be auctioned
1.	22.08.25 at 10:30 am: 01 LVP/24 (24) for ground trip basis in each train
2.	25.08.25 at 10:30 am: 1204/4 (F1), 1207/4 (F1), 1208/4 (F1), 1209/4 (F1), 1210/4 (F1), 1211/4 (F1), 1212/4 (F1), 1213/4 (F1), 1214/4 (F1), 1215/4 (F1), 1216/4 (F1), 1217/4 (F1), 1218/4 (F1), 1219/4 (F1), 1220/4 (F1), 1221/4 (F1), 1222/4 (F1), 1223/4 (F1), 1224/4 (F1), 1225/4 (F1), 1226/4 (F1), 1227/4 (F1), 1228/4 (F1), 1229/4 (F1), 1230/4 (F1), 1231/4 (F1), 1232/4 (F1), 1233/4 (F1), 1234/4 (F1), 1235/4 (F1), 1236/4 (F1), 1237/4 (F1), 1238/4 (F1), 1239/4 (F1), 1240/4 (F1), 1241/4 (F1), 1242/4 (F1), 1243/4 (F1), 1244/4 (F1), 1245/4 (F1), 1246/4 (F1), 1247/4 (F1), 1248/4 (F1), 1249/4 (F1), 1250/4 (F1), 1251/4 (F1), 1252/4 (F1), 1253/4 (F1), 1254/4 (F1), 1255/4 (F1), 1256/4 (F1), 1257/4 (F1), 1258/4 (F1), 1259/4 (F1), 1260/4 (F1), 1261/4 (F1), 1262/4 (F1), 1263/4 (F1), 1264/4 (F1), 1265/4 (F1), 1266/4 (F1), 1267/4 (F1), 1268/4 (F1), 1269/4 (F1), 1270/4 (F1), 1271/4 (F1), 1272/4 (F1), 1273/4 (F1), 1274/4 (F1), 1275/4 (F1), 1276/4 (F1), 1277/4 (F1), 1278/4 (F1), 1279/4 (F1), 1280/4 (F1), 1281/4 (F1), 1282/4 (F1), 1283/4 (F1), 1284/4 (F1), 1285/4 (F1), 1286/4 (F1), 1287/4 (F1), 1288/4 (F1), 1289/4 (F1), 1290/4 (F1), 1291/4 (F1), 1292/4 (F1), 1293/4 (F1), 1294/4 (F1), 1295/4 (F1), 1296/4 (F1), 1297/4 (F1), 1298/4 (F1), 1299/4 (F1), 1300/4 (F1), 1301/4 (F1), 1302/4 (F1), 1303/4 (F1), 1304/4 (F1), 1305/4 (F1), 1306/4 (F1), 1307/4 (F1), 1308/4 (F1), 1309/4 (F1), 1310/4 (F1), 1311/4 (F1), 1312/4 (F1), 1313/4 (F1), 1314/4 (F1), 1315/4 (F1), 1316/4 (F1), 1317/4 (F1), 1318/4 (F1), 1319/4 (F1), 1320/4 (F1), 1321/4 (F1), 1322/4 (F1), 1323/4 (F1), 1324/4 (F1), 1325/4 (F1), 1326/4 (F1), 1327/4 (F1), 1328/4 (F1), 1329/4 (F1), 1330/4 (F1), 1331/4 (F1), 1332/4 (F1), 1333/4 (F1), 1334/4 (F1), 1335/4 (F1), 1336/4 (F1), 1337/4 (F1), 1338/4 (F1), 1339/4 (F1), 1340/4 (F1), 1341/4 (F1), 1342/4 (F1), 1343/4 (F1), 1344/4 (F1), 1345/4 (F1), 1346/4 (F1), 1347/4 (F1), 1348/4 (F1), 1349/4 (F1), 1350/4 (F1), 1351/4 (F1), 1352/4 (F1), 1353/4 (F1), 1354/4 (F1), 1355/4 (F1), 1356/4 (F1), 1357/4 (F1), 1358/4 (F1), 1359/4 (F1), 1360/4 (F1), 1361/4 (F1), 1362/4 (F1), 1363/4 (F1), 1364/4 (F1), 1365/4 (F1), 1366/4 (F1), 1367/4 (F1), 1368/4 (F1), 1369/4 (F1), 1370/4 (F1), 1371/4 (F1), 1372/4 (F1), 1373/4 (F1), 1374/4 (F1), 1375/4 (F1), 1376/4 (F1), 1377/4 (F1), 1378/4 (F1), 1379/4 (F1), 1380/4 (F1), 1381/4 (F1), 1382/4 (F1), 1383/4 (F1), 1384/4 (F1), 1385/4 (F1), 1386/4 (F1), 1387/4 (F1), 1388/4 (F1), 1389/4 (F1), 1390/4 (F1), 1391/4 (F1), 1392/4 (F1), 1393/4 (F1), 1394/4 (F1), 1395/4 (F1), 1396/4 (F1), 1397/4 (F1), 1398/4 (F1), 1399/4 (F1), 1400/4 (F1), 1401/4 (F1), 1402/4 (F1), 1403/4 (F1), 1404/4 (F1), 1405/4 (F1), 1406/4 (F1), 1407/4 (F1), 1408/4 (F1), 1409/4 (F1), 1410/4 (F1), 1411/4 (F1), 1412/4 (F1), 1413/4 (F1), 1414/4 (F1), 1415/4 (F1), 1416/4 (F1), 1417/4 (F1), 1418/4 (F1), 1419/4 (F1), 1420/4 (F1), 1421/4 (F1), 1422/4 (F1), 1423/4 (F1), 1424/4 (F1), 1425/4 (F1), 1426/4 (F1), 1427/4 (F1), 1428/4 (F1), 1429/4 (F1), 1430/4 (F1), 1431/4 (F1), 1432/4 (F1), 1433/4 (F1), 1434/4 (F1), 1435/4 (F1), 1436/4 (F1), 1437/4 (F1), 1438/4 (F1), 1439/4 (F1), 1440/4 (F1), 1441/4 (F1), 1442/4 (F1), 1443/4 (F1), 1444/4 (F1), 1445/4 (F1), 1446/4 (F1), 1447/4 (F1), 1448/4 (F1), 1449/4 (F1), 1450/4 (F1), 1451/4 (F1), 1452/4 (F1), 1453/4 (F1), 1454/4 (F1), 1455/4 (F1), 1456/4 (F1), 1457/4 (F1), 1458/4 (F1), 1459/4 (F1), 1460/4 (F1), 1461/4 (F1), 1462/4 (F1), 1463/4 (F1), 1464/4 (F1), 1465/4 (F1), 1466/4 (F1), 1467/4 (F1), 1468/4 (F1), 1469/4 (F1), 1470/4 (F1), 1471/4 (F1), 1472/4 (F1), 1473/4 (F1), 1474/4 (F1), 1475/4 (F1), 1476/4 (F1), 1477/4 (F1), 1478/4 (F1), 1479/4 (F1), 1480/4 (F1), 1481/4 (F1), 1482/4 (F1), 1483/4 (F1), 1484/4 (F1), 1485/4 (F1), 1486/4 (F1), 1487/4 (F1), 1488/4 (F1), 1489/4 (F1), 1490/4 (F1), 1491/4 (F1), 1492/4 (F1), 1493/4 (F1), 1494/4 (F1), 1495/4 (F1), 1496/4 (F1), 1497/4 (F1), 1498/4 (F1), 1499/4 (F1), 1500/4 (F1), 1501/4 (F1), 1502/4 (F1), 1503/4 (F1), 1504/4 (F1), 1505/4 (F1), 1506/4 (F1), 1507/4 (F1), 1508/4 (F1), 1509/4 (F1), 1510/4 (F1), 1511/4 (F1), 1512/4 (F1), 1513/4 (F1), 1514/4 (F1), 1515/4 (F1), 1516/4 (F1), 1517/4 (F1), 1518/4 (F1), 1519/4 (F1), 1520/4 (F1), 1521/4 (F1), 1522/4 (F1), 1523/4 (F1), 1524/4 (F1), 1525/4 (F1), 1526/4 (F1), 1527/4 (F1), 1528/4 (F1), 1529/4 (F1), 1530/4 (F1), 1531/4 (F1), 1532/4 (F1), 1533/4 (F1), 1534/4 (F1), 1535/4 (F1), 1536/4 (F1), 1537/4 (F1), 1538/4 (F1), 1539/4 (F1), 1540/4 (F1), 1541/4 (F1), 1542/4 (F1), 1543/4 (F1), 1544/4 (F1), 1545/4 (F1), 1546/4 (F1), 1547/4 (F1), 1548/4 (F1), 1549/4 (F1), 1550/4 (F1), 1551/4 (F1), 1552/4 (F1), 1553/4 (F1), 1554/4 (F1), 1555/4 (F1), 1556/4 (F1), 1557/4 (F1), 1558/4 (F1), 1559/4 (F1), 1560/4 (F1), 1561/4 (F1), 1562/4 (F1), 1563/4 (F1), 1564/4 (F1), 1565/4 (F1), 1566/4 (F1), 1567/4 (F1), 1568/4 (F1), 1569/4 (F1), 1570/4 (F1), 1571/4 (F1), 1572/4 (F1), 1573/4 (F1), 1574/4 (F1), 1575/4 (F1), 1576/4 (F1), 1577/4 (F1), 1578/4 (F1), 1579/4 (F1), 1580/4 (F1), 1581/4 (F1), 1582/4 (F1), 1583/4 (F1), 1584/4 (F1), 1585/4 (F1), 1586/4 (F1), 1587/4 (F1), 1588/4 (F1), 1589/4 (F1), 1590/4 (F1), 1591/4 (F1), 1592/4 (F1), 1593/4 (F1), 1594/4 (F1), 1595/4 (F1), 1596/4 (F1), 1597/4 (F1), 1598/4 (F1), 1599/4 (F1), 1600/4 (F1), 1601/4 (F1), 1602/4 (F1), 1603/4 (F1), 1604/4 (F1), 1605/4 (F1), 1606/4 (F1), 1607/4 (F1), 1608/4 (F1), 1609/4 (F1), 1610/4 (F1), 1611/4 (F1), 1612/4 (F1), 1613/4 (F1), 1614/4 (F1), 1615/4 (F1), 1616/4 (F1), 1617/4 (F1), 1618/4 (F1), 1619/4 (F1), 1620/4 (F1), 1621/4 (F1), 1622/4 (F1), 1623/4 (F1), 1624/4 (F1), 1625/4 (F1), 1626/4 (F1), 1627/4 (F1), 1628/4 (F1), 1629/4 (F1), 1630/4 (F1), 1631/4 (F1), 1632/4 (F1), 1633/4 (F1), 1634/4 (F1), 1635/4 (F1), 1636/4 (F1), 1637/4 (F1), 1638/4 (F1), 1639/4 (F1), 1640/4 (F1), 1641/4 (F1), 1642/4 (F1), 1643/4 (F1), 1644/4 (F1), 1645/4 (F1), 1646/4 (F1), 1647/4 (F1), 1648/4 (F1), 1649/4 (F1), 1650/4 (F1), 1651/4 (F1), 1652/4 (F1), 1653/4 (F1), 1654/4 (F1), 1655/4 (F1), 1656/4 (F1), 1657/4 (F1), 1658/4 (F1), 1659/4 (F1), 1660/4 (F1), 1661/4 (F1), 1662/4 (F1), 1663/4 (F1), 1664/4 (F1), 1665/4 (F1), 1666/4 (F1), 1667/4 (F1), 1668/4 (F1), 1669/4 (F1), 1670/4 (F1), 1671/4 (F1), 1672/4 (F1), 1673/4 (F1), 1674/4 (F1), 1675/4 (F1), 1676/4 (F1), 1677/4 (F1), 1678/4 (F1), 1679/4 (F1), 1680/4 (F1), 1681/4 (F1), 1682/4 (F1), 1683/4 (F1), 1684/4 (F1), 1685/4 (F1), 1686/4 (F1), 1687/4 (F1), 1688/4 (F1), 1689/4 (F1), 1690/4 (F1), 1691/4 (F1), 1692/4 (F1), 1693/4 (F1), 1694/4 (F1), 1695/4 (F1), 1696/4 (F1), 1697/4 (F1), 1698/4 (F1), 1699/4 (F1), 1700/4 (F1), 1701/4 (F1), 1702/4 (F1), 1703/4 (F1), 1704/4 (F1), 1705/4 (F1), 1706/4 (F1), 1707/4 (F1), 1708/4 (F1), 1709/4 (F1), 1710/4 (F1), 1711/4 (F1), 1712/4 (F1), 1713/4 (F1), 1714/4 (F1), 1715/4 (F1), 1716/4 (F1), 1717/4 (F1), 1718/4 (F1), 1719/4 (F1), 1720/4 (F1), 1721/4 (F1), 1722/4 (F1), 1723/4 (F1), 1724/4 (F1), 1725/4 (F1), 1726/4 (F1), 1727/4 (F1), 1728/4 (F1), 1729/4 (F1), 1730/4 (F1), 1731/4 (F1), 1732/4 (F1), 1733/4 (F1), 1734/4 (F1), 1735/4 (F1), 1736/4 (F1), 1737/4 (F1), 1738/4 (F1), 1739/4 (F1), 1740/4 (F1), 1741/4 (F1), 1742/4 (F1), 1743/4 (F1), 1744/4 (F1), 1745/4 (F1), 1746/4 (F1), 1747/4 (F1), 1748/4 (F1), 1749/4 (F1), 1750/4 (F1),

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1947 के भारत विभाजन की भीषण त्रासदी का स्मरण करते हुए लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन से संबंधित साहित्य एवं दस्तावेजों को प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही, विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को

षड्यंत्र के चलते भारत का विभाजन किया गया: दिलीप जायसवाल

पटना, (बीओ)। भाजपा पटना महानगर ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल एवं पटना महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता के नेतृत्व मे भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से इकम टैक्स गोलंबर तक हाथों मे काली पट्टी बांध कर मौन जुलूस निकाला। प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा की 2021 में प्रधामंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की और मानवीय इतिहास के संभवतः सबसे बड़े विस्थापन और अपनों से बिछड़ने की इस भयंकर और क्रूर त्रासदी से पूरी मानता शर्मसार हुई,ऐसे विभीषिका की पुनरावृत्ति भविष्य में फिर कभी ना हो इसीलिए इस दिन को याद करना आवश्यक हो जाता है। जिलाअध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने विभाजन के त्रासदी को

सीमावर्ती क्षेत्र में नशीली दवाओं, जाली मुद्रा, वन सम्पदा, हथियार एवं मानव तस्करी से निपटने के लिए एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स गठित

पटना, (बीओ)। महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय पटना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में नशीली दवाओं, जाली मुद्रा, वन सम्पदा, हथियार एवं मानव तस्करी की बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करने और उसके दुष्परिणामों से निपटने के लिए ‘‘एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स’’ के गठन की पहल की गयी है।

महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा दोनों टास्क फोर्सों के गठन की औपचारिक घोषणा कर कार्यमूर्त स्वरुप प्रदान किया गया है। यह विश्वष टास्क फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य की रक्षा के उद्देश्य से गठित किया गया है। एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स में सशस्त्र सीमा बल की ओर से महानिरीक्षक, सीमान्त पटना राज्य पुलिस की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) अपर पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध ईकाई) के तरफ से जेनल डायरेक्टर एवं कस्टम की ओर से कमिश्नर कस्टम (प्रिवेंटिव) शामिल हरेगें।

हर घर तिरंगा से गूंजे छत्तीसगढ़: साय

रायपुर, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का एक महान अनुष्ठान है, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन-बान-शान है, इसकी रक्षा और मान-सम्मान के लिए हर नागरिक को दृढ़संकल्पित होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हर घर तिरंगा पहराएगा और भारत अर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से और अधिक सशक्त बनेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘छत्तीसगढ़ महारा की जय’ के उद्घोष के साथ जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त और सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए कारयाना हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हमारे वीर जवानों द्वारा दिखाए गए साहस और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, जिसने तिरंगे की शान को और ऊंचा किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार एरिया ड्राईनेशन कर नक्सलियों का प्रभुत्व समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ कभी नक्सलियों का लाल झंडा लहराता था, आज वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है। कई संवेदनशील गांवों में बरसों बाद



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस राज्य स्तरीय समारोह में विभाजन के समय मारे गए लोगों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए।

मिल सके। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक परंपराओं के कारण बेटियों की शादी के बाद उनका नाम बदल

दिया जाता है और दस्तावेजों में नाम बदलने के कारण दिक्कतें आती हैं, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा नाम में संशोधन करने



मानव इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र का परिणाम बताया। देश को टुकड़ों में मिली आजादी कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों के साझा प्रयास का परिणाम था। उन्होंने लाखों हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के संदर्भ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की चर्चा और भी प्रासंगिक हो जाती है , जिला अध्यक्ष ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं की उपेक्षा के ऊपर बोलते हुए कहा कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं पर आज भी अत्याचार हो रहे

है। मौन जुलूस में भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार,सूरज पांडे,प्रवक्ता सुष्मा साहू,राजीव रंजन, अजीत लाली, विनय केशरी,मनोज सिंह, सरोज रंजन पटेल, सोनी मिश्रा, प्रीति पाठक,शशि बल्दीहार,विमल कश्यप,दीपू चंद्रवंशी, जैनेंद्र सिंह, राजेश श्रीवास्तव, सुनील भारती, अम्बरीश शर्मा,ममता पांडेय, नवनीत कुमार, बिंदी देवी सहित सैकड़ो भाजपा नेता मौजूद रहें।



ओर से कमिश्नर कस्टम (प्रिवेंटिव) शामिल रहेंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में सशस्त्र सीमा बल की ओर से महानिरीक्षक, सीमान्त पटना, राज्य पुलिस की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) अपर पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध ईकाई) के तरफ से जेनल डायरेक्टर एवं कस्टम की ओर से कमिश्नर कस्टम (प्रिवेंटिव) शामिल हरेगें।

गठित टास्क फोर्सों के

के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक के निर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 51 लाख रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने विभाजन का दंश झेलने वाले पूर्वजों को सम्मान देते हुए प्रतीकात्मक रूप से सरदार मोहर सिंह भाटिया, जो विभाजन के समय सिर्फ 7 साल के थे, उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले पूर्वजों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिन हमें वर्ष 1947 के उस भयानक समय की याद दिलाता है, जब भारत का विभाजन हुआ था।

योगी ने पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी

लखनऊ (बीओ)। सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक) नारे को लेकर उसपर जोरदार प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। योगी ने विधानसभा में विजन-2047 को लेकर 24 घंटे की अनवरत चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए उस पर परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को लुभाने के लिए पीडीए का नारा दिया था और इस समीकरण के बल पर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बीते साल के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केलंग जनजातीय महोत्सव का शुभारम्भ किया

शिमला , (बीओ)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वरुणल माध्यम द्वारा लाहौल-स्पीति जिला के केलंग में जनजातीय महोत्सव का शुभारम्भ किया। यह महोत्सव 16 अगस्त को सम्पन्न होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह महोत्सव पर्यावरण संरक्षण को दिशा में दूरगामी भूमिका निभाएगा। प्रदेश में पहली बार किसी महोत्सव का आयोजन ‘जिरो वेस्ट’ थीम के साथ किया गया है। इस आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत अनेक नवोन्मेषी पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिला की कला एवं संस्कृति विशिष्ट एवं अनूठी है। इस महोत्सव के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटकों को क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने व समझने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय महोत्सव हमारी विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हिमाचल के पहले

अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: बेहरामपुर रोड, खांडसा गांव, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, भारत, फोन +91-(0124)-4809756					
CIN: L17226HR1984PLC033384, E-mail: atnl_delhi@yahoo.com, Website: www.ashnoortex.com.					
30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण					
क्र. सं.	विवरण	30 जून, 2025	31 मार्च, 2025	30 जून, 2024	31 मार्च, 2025
		को समाप्त तिमाही के लिए (अलेखापरीक्षित)	को समाप्त तिमाही के लिए (लेखापरीक्षित)	को समाप्त तिमाही के लिए (अलेखापरीक्षित)	को समाप्त वर्ष के लिए (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	4,207.28	4,021.51	5,301.92	18,417.21
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	617.93	151.03	613.42	2,051.85
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	617.93	151.03	611.67	2,050.10
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	463.90	151.84	465.34	1,596.04
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात शामिल)]	463.90	151.84	465.34	1,596.04
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1,593.23	1,593.23	1,593.23	1,593.23
7	आरक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	—	7,046.26	—	7,046.26
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	558.65	558.65	558.65	558.65
9	निवल मूल्य	9,103.38	8,639.49	7,508.78	8,639.49
10	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	0.27	0.25	0.24	0.25
11	बकाया विमोचनीय प्रीफरेंस शेयर	—	—	—	—
12	ऋण इक्विटी अनुपात	0.64	0.74	0.90	0.74
13	प्रति शेयर अर्जन (₹. 10/- प्रत्येक) (अतिविशिष्ट मदों से पूर्व एवं बाद)				
	1. मूल:	2.91	0.95	2.92	10.02
	2. डायल्यूटिड:	2.91	0.95	2.92	10.02
14	पूँजी विमोचन आरक्षित	—	—	—	—
15	डिबेंचर विमोचन आरक्षित	—	—	—	—
16	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	2.26	0.87	3.07	2.31
17	व्याज सेवा कवरेज अनुपात	5.61	2.04	6.56	6.14

टिप्पणी :

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त एकल वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एसएस) के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.in और कम्पनी की वेबसाइट www.ashnoortex.com पर उपलब्ध है।



स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा
दिनांक: 13.08.2025

9 'वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2025

पीएम के फाइव एफ विजन से मप्र परिधान उद्योग का बनेगा वैश्विक केन्द्र : यादव



है। दिल्ली में 31 जुलाई को हुई पहली बैठक को उन्होंने ठसंकल्प संसफकृतता तकत की यात्रा का प्रारंभ बताया और कहा कि भोपाल की यह बैठक उस संकल्प को ठोस परिणामों में बदलने का अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि धार में 2,177 एकड़ में पीएम मित्रा स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा इसका भूमि पूजन किया जाएगा।

भूमि-पूजन से पूर्व ही 16 हजार करोड़ रु. से अधिक के निवेश अभिरुचि-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक प्रदेश के 3,513 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को निवेश फ्रेंडली स्थल बनाने के लिए

ऋण वसुली अधिकांश-II, दिल्ली चोथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	
 बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसुली की याता 19(4) के साथ परिवर्तन वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 12 एवं 13 के अंतर्गत सूचना निम्नलिखित के मागले में	
टीए नं. 1911/2023 दिनांक 13.08.2025 इतिवृत्त ओवरसीज बैंक	13.08.2025 ...आवेदक
नमान	...प्रतिवादी
मेसर्स गौतम प्रिंटर्स एवं अन्य	
टी1: मेसर्स गौतम प्रिंटर्स मार्फत इसके मालिक श्री रजनीकांत (पुत्रक) मार्फत इनके कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती मालतीकांत	
टी2: श्रीमती मालतीकांत पत्नी श्री रजनीकांत दोनों निवासी मकान नं. 22 बेसमेंट नुतल एवं टॉप तल बाजार लेन नजदीक शाही अस्पताल जामपुरा नई दिल्ली-14, इसके साथ: शींग नं. 5 लक्ष्मण सेनगर मंगल रोड नई दिल्ली-14	
टी3: श्री विजय सिंह हलाट 21/2 टेंप नगर नई दिल्ली-14	
टी4: श्री मनवीर सिंह मकान नं. 25 रूपार तल बाजार लेन नोएडा जामपुरा नई दिल्ली-14	
नृत्तिक उपरोक्त नामित आवेदक ने ₹. 43,70,310.50/- (चैतलीस लाख सत्तर हजार तीन सौ दस हजार एवं पचास पैसे) की वसुली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकांश के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आगो की जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विधानन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 22.01.2026 को प्राप्त 11.00 बजे अधिकांश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकांश के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनावई कर निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को विधिवी कौनकसिंग या मौलिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इस प्रक्रियन के लिए (i) सभी अधिवक्ता/जिडिगैट्स को रिस्को वेबसाई अधीकरण/सींफेदेयर से डाउनलोड करना होगा। (ii) "मीडिआ आईडी" और "पारदर्शक" जो पीतलीन अधिकांश/रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली सुनावई की अंगली तिथि के लिए डीआरटी ऑधिकारिक पोर्टल https://drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना की के अंतर्गत सुनावई की तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगा। (iii) किसी भी आपतलओलीन स्थिति के लिए अधिवक्ता/जिडिगैट्स घोजन नं. 23748478 पर संक्षेपित अधिकांश से सम्पर्क कर सकते हैं। आज 13 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकांश की मोहर के साथ जारी किया गया। मुद्रा	
अधिकरण के आदेशानुसार अनुमान अधिकांरी, डीआरटी-II, दिल्ली	

सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं। उद्योग संबंधी 29 अनुमतियों को कम करके अब 10 कर दिया गया है। उद्योग स्थापना के लिए 30 दिन में प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम है, जिससे कोई फाइल अटक के नहीं और कोई निर्णय रुके नहीं। कई गैर जरूरी कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे निवेशकों को ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस का आदर्श माहौल उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही निवेशकों को कई निवेश प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं,

जिसमें सस्ती दर पर बिजली, पानी, भूमि तथा ब्याज सब्सिडी शामिल है। महिला सशक्तिकरण को उद्योग विकास का मूल बताया। उन्होंने बताया कि परिधान उद्योग में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति महिला कर्मचारी 5 हजार रूपये वार्षिक प्रोत्साहन, कार्यस्थलों के निकट महिला छात्रावास और फ़ेच और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था लागू की जा रही है।

Notice In The Court of Ms. Shiipi M Jain, District Judge-05, Court No. 604, 6th floor, South West District, Dwarka Court, New Delhi. Case No. 721/2019 Jeetika Krishnatry Vs M/s Comfortplus Distribution Pvt. Ltd. Whereas plaintiff has instituted the above case and you are hereby summoned to appear in this court in person or by a pleader on the 23.08.2025 at 10:00 O'clock, to answer the same, failing which the suit/application will be disposed of ex parte. Given under my hand and the seal of the court this 06.08.2025 Seal Sd/- District Judge-05, (Central), South West District, Dwarka Court, New Delhi.	
In The court of Sh. Satyabrata Panda, District Judge-04, Court Room No. 33, Patiala House Court, New Delhi. PC No. 25/2023 NDOH:25.08.2025 Sunita Chauhan Vs State and Anr Sunita Chauhan Daughter of Sh.Dev Raj Chauhan Resident of Flat No. G-2, A-18, Rear ground Floor, Naraina Vihar, New Delhi-110028. Petitioner Vs. 1. State 2. Smt. Rajlakshmi Mishra Wife of Late. Sh. Mohan Kumar Mishra 3. Ms. Akansha Mohan D/o Late. Sh.Mohan Kumar Mishra Both R/o: Resident of GH-4/243, Meera Apts., Paschim Vihar, New Delhi-110063. Respondents Whereas a petition for the Grant of Letters of Administration in Respect of WILL of Late Shri Mohan Kumar Mishra Under Indian Succession Act, 1925 has been filed for the grant of Letter of Administration/Probate in favour of petitioner in respect of the estate of the deceased Late Sh. Mohan Kumar Mishra. Notice is hereby given to the general public that any person having any objection for the Letter of Administration /Probate in respect of the estate of the deceased Late Sh. Mohan Kumar Mishra. Notice is hereby given to the general public that any person having any objection for the Letter of Administration /Probate regarding immovable property bearing no.A-18, Ground Floor (Back Side), Flat No.2, Naraina Vihar, New Delhi-110028, The property bequeathed under the WILL dated 13.12.2022 of the deceased Late Shri Mohan Kumar Mishra, if anybody have any objection he/she may file the same in the court personally or through counsel on or before the next date of hearing 25.08.2025. Given under my hand and the seal of the court on the 11th day of August 2025. Seal Sd/- District Judge-04, Court Patiala House Court, New Delhi.	

ऋण वसुली अधिकांश-II दिल्ली चोथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	
 बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसुली की यात्रा 19(4) के साथ परिवर्तन वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 12 एवं 13 के अंतर्गत सूचना निम्नलिखित के मागले में	
टीए नं. 412/2024 दिनांक 13.08.2025 इतिवृत्त बैंक एसी	13.08.2025 ...आवेदक
नमान	...प्रतिवादी
मेसर्स दि कोमुनर्स	
टी1: मेसर्स गौतम प्रिंटर्स मार्फत इसके मालिक श्री रमा अनुग्राम सिंह, श्रीमती विमिता जहाँ केय नं. 388 मेन मंडी रोड जेजपुरा नई दिल्ली-42	
नृत्तिक उपरोक्त नामित आवेदक ने ₹. 36,00,733/- (तीसरे लाख सात सौ तीसरे सय्यो की वसुली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकांश के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आगो की जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विधानन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 05.01.2026 को प्राप्त 11.00 बजे अधिकांश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकांश के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनावई कर निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को विधिवी कौनकसिंग या मौलिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इस प्रक्रियन के लिए (i) सभी अधिवक्ता/जिडिगैट्स को रिस्को वेबसाई अधीकरण/सींफेदेयर से डाउनलोड करना होगा। (ii) सामान्य पीतलीन अधिकांश/रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली सुनावई की तिथि के लिए "मीडिआ आईडी" एवं पारदर्श डीआरटी ऑधिकारिक पोर्टल https://drt.gov.in पर सुनावई की तिथि से वरीक बनाए जारी हो प्रदर्शनी किया जाएगा। (iii) किसी भी आपतलओलीन स्थिति के लिए अधिवक्ता/जिडिगैट्स घोजन नं. 23748478 पर संक्षेपित अधिकांश से सम्पर्क कर सकते हैं। आज 13 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकांश की मोहर के साथ जारी किया गया। अधिकांश के आदेशानुसार अनुमान अधिकांरी, डीआरटी-II, दिल्ली	

In The Court of Sh. Satyabrata Panda, Additional District Judge-04, Court Room No. 33, Patiala House Court, New Delhi. PC No. 26/2023 NDOH:25.08.2025 Sunita Chauhan Vs State and Anr Sunita Chauhan Daughter of Sh.Dev Raj Chauhan Resident of Flat No. G-2, A-18, Rear ground Floor, Naraina Vihar, New Delhi-110028. Petitioner Vs. 1. State 2. Smt. Rajlakshmi Mishra Wife of Late. Sh. Mohan Kumar Mishra 3. Ms. Akansha Mohan D/o Late. Sh.Mohan Kumar Mishra Both R/o: Resident of GH-4/243, Meera Apts., Paschim Vihar, New Delhi-110063. Respondents Whereas a petition for the Grant of Letters of Administration in Respect of WILL of Late Shri Mohan Kumar Mishra Under Indian Succession Act, 1925 has been filed for the grant of Letter of Administration/Probate in favour of petitioner in respect of the estate of the deceased Late Sh. Mohan Kumar Mishra. Notice is hereby given to the general public that any person having any objection for the Letter of Administration/Probate in respect of the estate of the deceased particularly, "Saving Bank A/C N o . 1 0 0 8 4 3 0 3 7 3 7 maintained by the deceased with INDUSIND Bank, Naraina Branch, B-225, Naraina Industrial Area, Near Bikanerwala, Phase-1, New Delhi-110028." The saving bank A/C bequeathed under the WILL dated 13.12.2022 of the deceased Late Shri Mohan Kumar Mishra, if anybody have any objection he/she may file the same in the court personally or through counsel on or before the next date of hearing 25.08.2025. Given under my hand and the seal of the court on the 11th day of August 2025. Seal Sd/- District Judge-04, Court Patiala House Court, New Delhi.	
--	--